भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 139
सोमवार, 05 अगस्त, 2024 ((श्रावण 14,1946 (शक))) को दिया जाने वाला उत्तर

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सकारात्मक कार्य-योजना

***139 श्री नीरज डांगी:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या एयर इंडिया के निजीकरण के पश्चात् अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) हेतु रोजगार तथा इनके हितों का संरक्षण करने हेतु कोई 'सकारात्मक कार्य-योजना' तैयार की गई है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सकारात्मक कार्य-योजना" के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 05.08.2024 के मौखिक प्रश्न संख्या 139 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार, कार्यनीतिक भागीदार (एसपी) अर्थात मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड और एअर इंडिया के बीच हस्ताक्षरित शेयर खरीद समझौते (एसपीए) में प्रावधान है कि समापन तिथि के बाद, 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए कार्यनीतिक भागीदार (एसपी) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने की स्थिति में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के व्यक्तियों की छंटनी/सेवा समाप्ति सबसे अंत में की जाएगी।

एसपीए में यह भी प्रावधान है कि लागू कर्मचारी विनियमों और स्थायी आदेशों या लागू कानून के अनुसार किसी भी कारण से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति या बर्खास्तगी के सिवाए, कंपनी और/अथवा एआईएक्सएल द्वारा समापन तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए किसी भी कर्मचारी वर्ग को हटाया नहीं जाएगा अथवा उनकी छंटनी नहीं की जाएगी।

****